राजस्थान सूचना आयोग

वित्त भवन, सी ब्लॉक, जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर 302 005

क्रमांकः—रासुआ / अपील—6101 / 2011 **दिनांकः—13.1.2012**

अपील संख्या 6101 / 11

श्री अभिषेक जैन **बनाम** कुल सचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

अपीलार्थी	**प्रत्यर्थी**
श्री अभिषेक जैन, मकान नं.299, स्वागत सदन, पथिक नगर, रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे, बिजोलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राज.)	कुल सचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

महोदय,

उपरोक्त अपील में प्रदत्त निर्णय की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

पंजियक एवं विशेषाधिकारी

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

पुरोहित

राजस्थान सूचना आयोग

302, सी–विंग, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर 302 005
(फोन एवं फैक्स नं. 0141 2742406)

अपील संख्याः 6101/2011

अपीलार्थी	प्रत्यर्थी
श्री अभिषेक जैन 299, स्वागत सदन, पथिक नगर, रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे, बिजौलिया, भीलवाडा (राज.)	लोक सूचना अधिकारी उप सचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 03–01–2012

1. अपीलार्थी श्री अभिषेक जैन ने वर्तमान अपील इस आधार पर प्रस्तुत की थी कि उन्हें प्रथम अपील पर विद्वान अपीलीय प्राधिकारी ने एक प्रशासनिक पत्र दिनांकः 17–08–2011 से कोई अनुतोष नहीं दिया और विद्वान राज्य लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांकः 28–07–2011 की पुष्टि कर दी।

2. इससे पूर्व अपीलार्थी ने एक आवेदन दिनांकः 27–06–2011 से प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी से अन्य सूचना के साथ प्रथम वर्ष (बैक) परीक्षा–2010 के गणित–द्वितीय की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन/छाया प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। उत्तर पुस्तिका के अवलोकन/छाया प्रति के संदर्भ में उनके अनुरोध को ऑर्डिनेन्स 157–ए के आलोक में अस्वीकार कर दिया गया था।

3. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई तिथि को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ परन्तु अपीलोत्तर दिनांकः 03–12–2011 के माध्यम से यह लिखा गया कि "**माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में प्रबन्ध मण्डल की बैठक में निर्णय के उपरांत ही संबंधित छात्रों से निर्धारित शुल्क लेकर उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का कार्य प्रारम्भ किये जा सकेंगे।**"

Authenticated
Raj. Information Commission
JAIPUR

4. अपीलार्थी मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित हुए थे। उन्होंने प्रतिरोध किया और कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के उपरांत भी प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा अपीलार्थी के आवेदनानुरूप अनुतोष न देकर उसे जानबूझकर सूचना से वंचित रखा जा रहा है।

5. मैंने अपीलार्थी को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रथमतः यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान सूचना का अधिकार नियम–2005 के नियम 7 में अपील के विनिश्चित करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अपीलीय प्राधिकारी जब अपील का निर्णय करता है तो वह अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियान्तर्गत निर्णय होता है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनना और एक समुचित निर्णय देना अनिवार्य है। अपील प्राप्ति पर प्रशासनिक पत्र से व्यवस्था देना सही नहीं है। अपीलीय प्राधिकारी भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी समस्त अभिलेखीय सामग्री से नागरिक के अनुरोध पर संसूचित करना होगा जिसके प्रकटन से धारा 8, 9 एवं 11 के अन्तर्गत रोक न हो। प्रत्यर्थी पक्ष ने ऐसे किसी प्रावधान का उल्लेख न कर अपीलार्थी के आवेदन के उत्तर में विश्वविद्यालय के आर्डिनेंस का संदर्भ दिया।वे यह भूल गये कि ऐसा करना अधिनियम–2005 के प्रावधानों के विपरीत है, विशेषकर धारा 22 के आलोक में जिसमें अधिनियम के प्रावधानों को अध्यारोही प्रभावी (overriding effect) स्पष्ट किया है। अर्थात् प्रत्यर्थी पक्ष के यदि कोई नियम अधिनियम–2005 के प्रावधानों के विपरीत है तो वे लागू नहीं होगा। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के विवेचनाधीन आदेश इस दृष्टि से अधिनियमानुकूल न होने से अपास्तनीय है।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी पक्ष के विरूद्ध अपील संख्या 2010/2010 राजसिंह विरूद्ध परीक्षा नियंत्रक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में यह निर्णीत किया गया था कि कोई भी परीक्षार्थी अपनी स्वयं की उत्तर–पुस्तिकाओं का अवलोकन कर सकता है या छाया प्रतियॉ प्राप्त कर सकता है। इस आदेश के रहते हुए प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा अपीलार्थी को उत्तर–पुस्तिकाओं के अवलोकन करने से वंचित करना एक ऐसा कृत्य है जो भर्त्सना के योग्य है। प्रत्यर्थी पक्ष को ताडना दी जाती है।

Authenticated

9. यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 17248/2011 में लिखा है कि "The Registrar, Rajasthan Technical University, Kota shall allow the petitioners to inspect the answer sheets of first year (back) Examination 2010 in thory papers of Mathematics II." इस निर्णय को देते समय माननीय उच्च न्यायालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सैण्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एज्यूकेशन बनाम आदित्य बंदोपाध्याय के सिविल अपील संख्या 6454/2011 को भी दृष्टांकित किया है।

10. उपरोक्त विवेचन के आलोक में वर्तमान अपील को स्वीकार करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को इस आदेश प्राप्ति के 10 दिवस में स्थान, समय और और दिनांक सुनिश्चित कर आमंत्रित करें और वांछित उत्तर–पुस्तिका का निःशुल्क अवलोकन करा दें।

11. अस्तु वर्तमान अपील को उपरोक्तानुसार निर्णीत किया जाता है।

12. मेरे हस्ताक्षर एवम् आयोग की मोहर लगाकर आज दिनांकः 03–01–2012 को निर्णय किया गया।

13. आदेश की प्रतियां उभय पक्ष के साथ–साथ अपीलीय प्राधिकारी को भी प्रेषित की जाये।

(टी. श्रीनिवासन)
मुख्य सूचना आयुक्त

मिश्रा

Authenticated
Raj Information Commission
JAIPUR